

अमेरिकी प्रभारी राजदूत को किया तलब

नई दिल्ली, 12 जून. ओमान तट और होमुजु जलडमरूमध्य के निकट भारतीय नाविकों वाले व्यापारिक जहाजों पर हुए अमेरिकी सैन्य हमलों को लेकर भारत ने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दूतावास के प्रभारी राजदूत जेसन मीक्स को तलब




कर भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता

व्यक्त की और इस तरह की घटनाओं को तलका रोकने की मांग की। पिछले चार दिनों में अमेरिकी राजनयिक को दूसरी बार तलब किया जाना इस मुद्दे पर भारत की गंभीरता को दर्शाता है। विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (अमेरिका) नागराज नायडू ने अमेरिकी पक्ष के समक्ष भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता

बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त के सामने कूटनीतिक परीक्षा

नई दिल्ली, 12 जून. भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ऐसे समय में बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचने जा रहे हैं, जब दोनों पड़ोसी देशों के रिश्ते कई महत्वपूर्ण मोड़ों से गुजर रहे हैं। राजनीतिक बदलाव, रणनीतिक चुनौतियां और आर्थिक हितां के नए समीकरण भारत-बांग्लादेश संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में त्रिवेदी के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन संबंधों को स्थिर बनाए रखते हुए उभरे नई दिशा देना होगी। ढाका रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते विशेष हैं और समय-समय पर आए राजनीतिक उतार-चढ़ाव के बावजूद उनकी नींव मजबूत बनी हुई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के लगभग 160 करोड़ लोगों की आकांक्षा इन संबंधों से जुड़ी हुई है।



न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (बॉ. रिफेश कुमार वैश्य), जिला इंदौर (म.प्र.) (प्रशासनिक संकुल कक्षा क्र.-जी 11)

क्रमांक / 259 / अकरी / 2026 इन्दौर, दिनांक 20 / 05 / 2026

प्रकरण क्र. / 0038 / ब-121 / 2026-27

पेपर विज्ञापित

प्रति

1. श्रीमती संतोष बाई

2. श्री प्रकाश

3. श्री अरुण

पता नं. 1 :- 364 गवलीपुरा मानपुर आदिवासी छात्रावास, महुँ जिला इंदौर (म.प्र.) 453661

पता नं. 2 :- लुनियापुरा पाल धर्मशाला के पास महुँ इंदौर (म.प्र.) 453661

पता नं. 3 :- आदिवासी छात्रावास, गवलीपुरा, मानपुर जिला इंदौर (म.प्र.) द्वारा :- पेपर प्रकाशन ।

—0—

प्राधिकृत अधिकारी, वास्तु हाउसिंग फाईनेंस कॉर्पोरेशन लि, रजिस्टर्ड ऑफिस : युनिट नं. 203 - 204, 2^म फ्लोर, आ विंग, नवमवारत एस्टेट, जकारिया बंदर रोड, सेवरी (बिस्), मुंबई 400015 द्वारा आवेदन किया गया है कि बंधक संपत्ति 364 गवलीपुरा मानपुर आदिवासी छात्रावास, महुँ जिला इंदौर (म.प्र.) पर बकाया ऋण राशि का चुकारा आपके द्वारा नहीं किया गया और न ही प्रतिभूमि संपत्ति का कब्जा ही सौंपा गया है। अतः वित्तीय कब्जा आस्तियों का प्रतिभूमिकरण एवं प्रतिभूमिहृत प्रवर्तन अधिनियम की धारा 14 में प्रतिभूमि के रूप में रखी संपत्ति का दिलाया जाये।

अतः इस संबंध में एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि मामले की सुनवाई हेतु न्यायालय अपर कलेक्टर जिला इंदौर कक्षा क्रमांक जी-11 में दिनांक 15/06/2026 को दोपहर 03:00 बजे होगी। आप प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावेज व साक्ष्य सहित उपस्थित रहें। आपकी अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला इंदौर (म.प्र.)

देश में बदलाव मोदी नेतृत्व से संभव : आदित्यनाथ योगी

लखनऊ, 12 जून. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चमत्कारिक नेतृत्व का लाभ देश को मिला है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में योगी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास' को धरातल पर उतारा गया। उन्होंने कहा, 'पहले की सरकारों ने समाज को बांटने का काम किया, लेकिन पीएम मोदी ने गरीब, महिला, युवा और किसान - इन चार जातियों को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाईं और उनके उत्थान के लिए काम किया।



उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चमत्कारिक नेतृत्व का लाभ देश को मिला है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में योगी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास' को धरातल पर उतारा गया। उन्होंने कहा, 'पहले की सरकारों ने समाज को बांटने का काम किया, लेकिन पीएम मोदी ने गरीब, महिला, युवा और किसान - इन चार जातियों को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाईं और उनके उत्थान के लिए काम किया।

परमाणु ऊर्जा से जुड़ी वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क माफ

नई दिल्ली, 12 जून. सरकार ने परमाणु ऊर्जा से जुड़ी वस्तुओं के आयात पर 01 अप्रैल 2019 से 31 जनवरी 2026 को अवधि के लिए पूर्व प्रभाव से सीमा शुल्क माफ कर दिया है।

वित्त मंत्रालय द्वारा गुरुवार देर रात जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 01 फरवरी 2026 की अधिसूचना के माध्यम से उस तारीख से परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए सभी वस्तुओं पर देय संपूर्ण सीमा शुल्क से मुक्त आयात को अनुमति दे दी गयी है। हालांकि उससे पहले इन वस्तुओं पर सीमा शुल्क का प्रावधान था। इसमें कहा गया है कि इन वस्तुओं पर 01 अप्रैल 2019 से 31 जनवरी 2026 को अवधि के दौरान आयात लगाये जाने वाले सीमा शुल्क को वसूली न करने के संबंध में एक प्रथा समान्यतः प्रचलन में थी। मंत्रालय की गुरुवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है, केंद्र सरकार एतद द्वारा निर्देश देती है कि ...उक्त वस्तुओं के आयात पर देय संपूर्ण सीमा शुल्क, यदि कोई हो, दिनांक 01 अप्रैल 2019 से 31 जनवरी 2026 को अवधि के दौरान उक्त वस्तुओं के आयात के संबंध में देना अपेक्षित नहीं होगा।

उल्लेखनीय है कि सरकार ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए दूसरे गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के साथ परमाणु ऊर्जा को भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। इसी संदर्भ में संसद ने पिछले साल दिसंबर में शांति विधेयक को भी मंजूरी प्रदान की थी।

फिल्म के टीजर और रिलीज पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका

नई दिल्ली. विवादाित फिल्म 'काला हिरण- द बैटल फॉर लेगेसी' को लेकर अभिनेता सलमान खान और फिल्म निर्माताओं के बीच कानूनी विवाद गहरा गया है। शुक्रवार को फिल्म का फर्स्ट लुक और प्रचार सामग्री सामने आने के बाद अभिनेता ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर फिल्म के टीजर और रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। सलमान खान की ओर से पहले ही फिल्म के निर्माताओं को कानूनी नोटिस भेजा गया था. नोटिस में फिल्म की सामग्री और उसके संभावित प्रभावों पर आपत्ति जताई गई थी. इसके बावजूद निर्माताओं ने फिल्म का फर्स्ट लुक सार्वजनिक कर दिया, जिसके बाद मामला अदालत तक पहुंच गया. फिल्म 'काला हिरण- द बैटल फॉर लेगेसी' रिलीज से पहले ही चर्चाओं और विवादों का केंद्र बनी हुई है.

नई दिल्ली. विवादाित फिल्म 'काला हिरण- द बैटल फॉर लेगेसी' को लेकर अभिनेता सलमान खान और फिल्म निर्माताओं के बीच कानूनी विवाद गहरा गया है.

शुक्रवार को फिल्म का फर्स्ट लुक और प्रचार सामग्री सामने आने के बाद अभिनेता ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर फिल्म के टीजर और रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है. सलमान खान की ओर से पहले ही फिल्म के निर्माताओं को कानूनी नोटिस भेजा गया था. नोटिस में फिल्म की सामग्री और उसके संभावित प्रभावों पर आपत्ति जताई गई थी. इसके बावजूद निर्माताओं ने फिल्म का फर्स्ट लुक सार्वजनिक कर दिया, जिसके बाद मामला अदालत तक पहुंच गया. फिल्म 'काला हिरण- द बैटल फॉर लेगेसी' रिलीज से पहले ही चर्चाओं और विवादों का केंद्र बनी हुई है.

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India		क्षेत्रीय कार्यालय : भोपाल		ई-नीलामी की सूचना	
पंरिशिष्ट - IV क [नियम 8 (6) का पालन देखें]					
घल/अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस					
प्रतिभूतिहृत (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के पालन के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिकृत का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस					
सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप से उधार देने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूत लेनदार के पास निरालो/प्राणित है, का संकेतिक/भौतिक कब्जा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जो "जहां है, जैसा है और जो है जैसा है" के आधार पर निम्न ऋणियों से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूत लेनदार को निम्न वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा निम्नवर्णित दिनांक को बेची जाएगी। अरक्षित मूल्य और अंतिम धराशक्ति निम्नलिखित हैं।					
खाते / ऋणी का नाम एवं पता	बंधक संपत्तियों का विवरण एवं संपत्ति स्वामी का नाम	मांग नोटिस दि. कक्षा दिनांक बकाया राशि	अरक्षित मूल्य घरोहर राशि बिड वृद्धि राशि		
शाजापुर शाखा शाजापुर, फोन: 7024115087					
ऋणी- मैसर्स रचना आँवला मिल (प्रो. सुश्री रचना पाटीदार पुत्री श्री कमल पाटीदार)	बंधक संपत्ति के मालिक : श्री राजेश पाटीदार पुत्र श्री रमचन्द्र पाटीदार (युवायुक्ति फ्लट भूमि सर्व क्रमांक 18/12/2, पीएच क्रमांक 17 (प्रधान पीएच क्रमांक 14) ग्राम-मोमन बड़ोदिया, पोस्ट आँवला एवं तहसील-मोमन बड़ोदिया, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश- 465001, जमानतदार: श्री राजेश पाटीदार पुत्र श्री रमचन्द्र पाटीदार	24/12/2024 02/04/2025 दि. 24/12/2024 को ₹ 23,06,033.78 +दिनांक 24/12/2024 से ब्याज एवं खर्च	₹ 39,20,000/- ₹ 3,92,000/- ₹ 10,000/-		
ऋणी- मैसर्स भीनाय ट्रेडर्स (प्रोपराइटर- श्री कमल सिंह पाटीदार पुत्र श्री रमचन्द्र पाटीदार)	व्यावसायिक भूमि स्थित सर्वे नं. 180/2/2, प.ह. नं. 14, ग्राम-मोमन बड़ोदिया, पोस्ट आँवला मोमन बड़ोदिया, तहसील- मोमन बड़ोदिया, जिला शाजापुर, म.प्र. 465001, भूमि क्षेत्रफल - 2090 वर्ग मीटर / 22,500 वर्ग फीट संपत्ति मालिक- श्री कमल पुत्र श्री रमचन्द्र चतुर्सीमाएं- उत्तर- राधेश्याम पुत्र सिद्धाथ की भूमि, पश्चिम- रेखा बार्ड पत्नी रामबाबू की भूमि, उत्तर- कमल पाटीदार पुत्र रमचन्द्र पाटीदार की भूमि, पूर्व - ओम प्रकाश पाटीदार की भूमि, पश्चिम- सांगरपुर- आगर रोड	28.05.2024 23.08.2024 दि. 28/05/2024 को ₹ 22,11,873/- +दि. 28.05.2024 से देय ब्याज एवं खर्च	₹ 66,00,000/- ₹ 6,60,000/- ₹ 10,000/-		
इंफ़ेम्टी जमा करने की दिनांक एवं समय : 28.06.2026 को सयं 4.00 बजे या उससे पूर्व ई-नीलामी की दिनांक एवं समय : 29.06.2026 को सुबह 10.00 बजे से सयं 5.00 बजे तक संपत्ति निरीक्षण दिनांक : 19.06.2026 को दोपहर 3.00 बजे से सयं 5.00 बजे तक					
विक्रय के निबंधन और शर्तों के खीरे के लिए कृपया नीचे दिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in अथवा http://BAANKNET देखें। तारीख : 12.06.2026, स्थान: भोपाल प्राधिकृत अधिकारी					

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर (जनकार्य विभाग)					
ई-मेल: jankarya.vibhag2023@gmail.com, फोन : 7440440233					
निविदा विज्ञापित क्र.: 36/सि/वि/ 26-27/गुप नं-01 से गुप नं-11 तक			दिनांक: 09.06.2026		
केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत उद्देश्य से (MPUADD Road & Bridge SOR, DATE 08-11-2025/NON SOR/ BUILDING SOR DATE 02-08-2021 पर आधारित) ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in/ पर देखा जा सकता है।					
गुप क्र.	टेंडर क्र.	कार्य का नाम	कार्य की समाप्ति के लिए लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं ई.नं.सी.	निविदा क्रय करने एवं खोलने की अंतिम तिथि
01	2026_UAD_513962_1	झोन क्र. 11 वाई क्र. 54 के अन्तर्गत कीचड़ समस्या एवं वर्षा उपजाऊ गड्डों की समस्या के निवारण हेतु मेटल पंचबर्क करना।	90 दिवस ₹9,46,000/-	₹2,000/- ₹9,500/-	23-06-2026 6.00 PM 25-06-2026
02	2026_UAD_513963_1	झोन क्र. 08 वाई क्र. 28 के अन्तर्गत कीचड़ समस्या निवारण हेतु रोड के गड्डों एवं एप्रोच रोड पर मुर मुच्री डालना।	90 दिवस ₹3,95,800/-	₹2,000/- ₹4,000/-	23-06-2026 6.00 PM 25-06-2026
03	2026_UAD_513965_1	झोन क्र. 18 वाई क्र. 64 के अन्तर्गत दुर्गा नगर मेन रोड पर सड़क का निर्माण कार्य करना। (मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना योजना) (द्वितीय आमंत्रण)	180 दिवस ₹46,75,695/-	₹5,000/- ₹35,100/-	23-06-2026 6.00 PM 25-06-2026
04	2026_UAD_513966_1	झोन क्र. 12 वाई क्र. 66 के अन्तर्गत धोबी घाट मेनान निगम भूमि पर बाइपास/बाला का निर्माण करना। (तृतीय आमंत्रण)	180 दिवस ₹48,13,171/-	₹5,000/- ₹4,36,100/-	23-06-2026 6.00 PM 25-06-2026
05	2026_UAD_513967_1	झोन क्र. 11 वाई क्र. 48 के अन्तर्गत पंचरत्न अपार्टमेंट मोनोगार्ज से शेड हालिग गार्डन मोनोगार्ज तक बहिष्कृत रोड के स्थान पर नवीन सड़क का निर्माण करना। (चतुर्थ आमंत्रण)	180 दिवस ₹22,58,936/-	₹5,000/- ₹17,000/-	23-06-2026 6.00 PM 25-06-2026
06	2026_UAD_513969_1	झोन क्र. 04 वाई क्र. 11 के अन्तर्गत भागीरथपुरा में भूगु डेव केववास वाली गली एवं सभ्य गलियों का चौकीकरण कर सीमेंट कांक्रिट का कार्य करना। (छठवा आमंत्रण)	180 दिवस ₹37,76,730/-	₹5,000/- ₹28,400/-	23-06-2026 6.00 PM 25-06-2026
07	2026_UAD_513972_1	झोन क्र. 07 वाई क्र. 29 के अन्तर्गत विजय नगर एक्सपेशन में आवश्यक रोड का लेवल मेटेन करते हुए सिमेंटीकरण करना। (छठवा आमंत्रण)	240 दिवस ₹57,09,164/-	₹10,000/- ₹42,900/-	23-06-2026 6.00 PM 25-06-2026
08	2026_UAD_513976_1	झोन क्र. 13 वाई क्र. 74 के अन्तर्गत राहुल गांधी नगर में हनुमान मंदिर से मार्ग प्रतिस्था ढाका तक एवं सांविधिया किराना पिपल्यापासा से राहुल गांधी नगर मेन रोड (टैक वाली गली) के रोड का सिमेंटीकरण करना। (तृतीय आमंत्रण)	240 दिवस ₹94,02,562/-	₹10,000/- ₹70,600/-	23-06-2026 6.00 PM 25-06-2026
09	2026_UAD_513978_1	झोन क्र. 19 वाई क्र. 53 में आजाद नगर के अन्तर्गत मुर्गी केन्द्र अलमारी वालों के कारखाने से मदीना नगर गेट होते हुवे कारखाना काली पुर्णिया तक मुख्य मार्ग का सीमेंट कांक्रिट करना। (पंचम आमंत्रण)	240 दिवस ₹1,08,16,683/-	₹12,500/- ₹64,100/-	23-06-2026 6.00 PM 25-06-2026
10	2026_UAD_513979_1	झोन क्र. 13 वाई क्र. 78 के अन्तर्गत बिजलपुर स्थित पिपल चौक, शहलुत चौक, पटवारी मोहल्ला, रोहदास मोहल्ला, प्रजापत मोहल्ला, इन्दरी मोहल्ला आदि संबंधित गलियों में बहिष्कृत सड़कों का सीमेंट कांक्रिट करना। (पंचम आमंत्रण)	240 दिवस ₹1,40,95,474/-	₹12,500/- ₹70,500/-	23-06-2026 6.00 PM 25-06-2026
11	2026_UAD_514110_1	झोन क्र. 03 वाई क्र. 58 के अन्तर्गत महापौर निधि से राम मंदिर सुभाष चौक पानी की टंकी पार्किंग से इमली बाजार चौराहा तक की सड़क एवं बेकलेन (माणक चौक इमली बाजार से बोहरा मस्जिद तक) सीमेंट कांक्रिट कार्य एवं अन्य आवश्यक कार्य करना। (पंचम आमंत्रण)	240 दिवस ₹1,58,99,008/-	₹12,500/- ₹79,500/-	23-06-2026 6.00 PM 25-06-2026

नोट:- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन <https://mptenders.gov.in/> की वेबसाइट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री (जनकार्य विभाग) नगर पालिक निगम, इन्दौर

प्रतिबधित पॉलिथीन, केंचैरीय के निम्नांक / विकल्प उपयोग करने पर देव व चक्र का प्रावधान है।

अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची सीआईडी

कोलकाता. पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर कानूनी गाज गिरनी तेज हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद अब उनके भतीजे और टीएमपी के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को मुश्किलें भी बेहद बढ़ गई हैं. चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए उनके विवादाित 'डीजे' वाले बयान के मामले में शुक्रवार दोपहर राज्य की खुफिया जांच एजेंसी सीआईडी की टीम सीधे उनके कालीघाट स्थित पटुआपारा आवास पर पहुंच गई.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) (CIN-L65110TN2014PLC097792)

रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर, श्वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031 फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह- उधारकर्ताओं में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुविधा ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुविधा किए गए हैं. सूचि के संबंधित ऋण समझौतों की तारीखों का पालन करने में विफल रहे हैं और अधिनियम को लागू है, इसलिए उनके ऋण को अवरुद्ध दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके ऋण देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित वित्तीयों से अनुबंध के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्र.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	109534217	होम लोन	06.05.2026	6,97,102.04/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के नाम: 1. कृष्णपालसिंह रामभूषिंह 2. जयपाल सिंह राजपुत्र 3. रामभू सिंह 4. फुल कुंवर

संपत्ति का पता: वह पुरा चाना हुआ फ्लान नंबर 15, निमका कुल क्षेत्रफल 1040 वर्ग फुट (52 फुट x 20 फुट) है, जो ग्राम आबादी सर्वे नंबर 10S, P.H. नंबर 10S (वाइडलाइन के अनुसार P.H. नंबर 11), ग्राम: उमरिया, वार्ड नंबर 05, ग्राम पंचायत: बरौदिया, तहसील: मकदोन, जिला: उज्जैन, मध्य प्रदेश-456668 में स्थित है, और जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व: कॉमन रोड, पश्चिम: सरकारी जमीन, उत्तर: हुकम सिंह का मकान, दक्षिण: भरत सिंह का मकान और खुली जमीन।

आपको उपरोक्त तालिका में दशाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित वित्तीयों से अनुबंधित ऋण दस्त दत्त तथा अन्य लान, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विक्रय एवं/आएआरएफआईआर अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होगा पड़ेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत विक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुविधाित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है।

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक: 13.06.2026

स्थान: मध्यप्रदेश

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

एक्सिस बैंक लिमिटेड

गिरवी रखी गई परिसंपत्ति स्वर्ण आभूषणों की नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

उधारकर्ता को विशेष और सामान्य रूप से जानता को यहाँ सूचित किया जाता है कि नीचे दिए गए खातों में सोने के गहनों की सार्वजनिक नीलामी एक्सिस बैंक द्वारा की निम्न शाखाओं में आयोजित की जानी है।

नीचे उल्लिखित उधारकर्ता ने सुरक्षा के प्रति बैंक के पक्ष में सोने के गहने (गोल्ड लोन सुविधा) की गिरवी के एवज एक्सिस बैंक लिमिटेड से क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाया है। उधारकर्ताओं / गारंटरो को डिमांड नोटिस जारी किए गए हैं जो उधारकर्ताओं / गारंटरो को गोल्ड लोन सुविधा का लाभ उठाने के लिए उनकी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा है। जैसा कि उधारकर्ता / गारंटर बकाया ऋण राशि चुकाने में विफल रहे हैं, बैंक गिरवी आभूषणों की नीलामी करने के लिए विवश है और 13-07-2026 को प्रातः 11:00 बजे जहां है जैसा है, जैसा है जिना है में गिरवी रखी गई स्वर्ण आभूषणों की नीलामी विक्री का प्रस्ताव रखा गया है। नीलामी आयोजित की जाएगी। उधारकर्ताओं और बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है।

उधारकर्ता का नाम	ऋण खाता क्रं.	बकाया राशि (₹)	पुनः सूचना दिनांक	कुल बचन	शुद्ध बचन
शाखा : लखड़िया मोरी, इंदौर (म.प्र.)					
अनिल गीणा	XXXXXXXXXXXX585	65830	18-05-2026	11,400	10,900
नराल किशोर शुक्ला	XXXXXXXXXXXX752	61610	02-03-2026	9,500	8,300